

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/ VAISAKHA 5, 1939

No. 315]

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

सा.का.नि.404(अ).— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम, 2017 है।
 - (2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चातु उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 68ञ में,-
 - (क) उप-पैरा (2) का लोप होगा;
 - (ख) उप-पैरा (3) के परंतुक का लोप होगा;
 - (ग) उप-पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:--
 - "(6) उप-पैरा (1) या उप-पैरा (3) के अधीन सदस्य को कोई अग्रिम अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उसके प्रभाव में स्व-घोषणा प्रस्तुत न करे।"।
- 3. उक्त स्कीम में पैरा 68ढ के उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "(2) उप-पैरा (1) के अधीन सदस्य को कोई अग्रिम संदत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उसके प्रभाव में स्व-घोषणा प्रस्तुत न करे।"।

[फा. सं. एस-35012/02/2017-एसएस-II]

आर.के.गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 1509, तारीख 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सा.का.नि .351(अ) तारीख 12 अप्रैल, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था।

2726 GI/2017 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2017

G.S.R.404(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) The scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 2017.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 68J,-
 - (a) sub-paragraph (2) shall be omitted;
 - (b) proviso to sub-paragraph (3) shall be omitted;
 - (c) for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely;-
 - "(6) No advance shall be granted to the member under sub-paragraph (1) or sub-paragraph (3) unless he produces a self-declaration to that effect.".
- 3. In the said Scheme, in para 68N, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
 - "(2) No advance shall be paid to the member under sub-paragraph (1) unless he produces a self-declaration to that effect.".

[F. No. S-35012/02/2017-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note:- The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub Section (i) *vide* notification number SRO.1509, dated the 2nd September, 1952 and was lastly amended *vide* notification No. G.S.R. 351(E) dated the 12th April, 2017.